आधारपत्र

लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पहली सीढ़ी[1]

पंचायत चुनाव सामने हैं। प्रक्रिया चल रही हैं। चौपालें जम रही हैं। राजनीति के दांव-पेंच नगरीय निकायों के बाद अब गांव की गलियों में दिखाई देने शुरू हो गए हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का यह सबसे लघु संस्करण इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक-एक वोट की अपनी अहमियत है, सरोकार ज्यादा करीब से एक-दूसरे में गुथे हैं। सत्ता हासिल करने और नहीं करने देने की लड़ाई भी उतनी ही मुखर है। दिलचस्प इसलिए भी हैं क्योंकि पंचायतों ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के माध्यम से अब ज्यादा आर्थिक शक्ति भी हासिल की है। दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इन चुनावों में महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण हासिल हुआ है। दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि पंचायत को संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद पंचायती राज को अच्छे-बुरे दोनों तरह के अनुभवों का सामना करना पड़ा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कि पंचायत ही वह शक्ति है जो किसी भी तरह की पूंजीवादी, साम्राज्यवादी शक्ति से अपने संसाधनों की रक्षा करने में सक्षम है। इसलिए पंचायती राज की सफल स्थापना समाज की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है चुनाव निर्बाध संपन्न हों। मीडिया की वॉच डॉग की भूमिका बिना यह संभव नहीं है।

पंचायत चुनाव में मीडिया कवरेज की अपनी अहम भूमिका है। मध्यप्रदेश में पंचायती राज लागू होने के बाद कई तरह के मुद्दे सामने आए हैं। खासकर पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी को लेकर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के अनुभव देखे हैं, कहीं महिलाओं ने आगे आकर विकास को गति दी तो कहीं इस काम में हिंसा का शिकार भी होना पड़ा। पंचायती राज के बेहतर कियान्वयन में मीडिया का भी अपना अहम रोल है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में तो और भी महत्वपूर्ण।

मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है जहां 73वें संविधान के पालन हेतु सबसे पहले नवीन पंचायती राज अधिनियम (30 दिसम्बर को विधानसभा द्वारा पारित एवं 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल द्वारा अनुमति) पारित कर त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। 25 मई 1994 में चुनाव कराकर प्रदेश में 30922 ग्राम पंचायतों में 452507 पंच, 30922 सरपंच एवं उपसरपंच, 459 जनपद पंचायतों में 8179 सदस्य 459 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इसी प्रकार 45 जनपद पंचायतों में 946 सदस्य, 45 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों का निर्वाचन कराया गया।

म.प्र. में ग्राम स्वराज की स्थापना

22 जनवरी 2001 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित म.प्र. विधानसभा द्वारा पारित 27 धाराओं वाला मध्यप्रदेश अधिनियम (क्रमांक-3 सन् 2001) सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अधिनियम अर्थात् मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम 2001 ने प्रदेश के 1993 के अधिनियम के अभूतपूर्व प्रभावकारी संशोधन कर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है जिसका ग्राम प्रशासन पर सकारात्मक, दीर्घकालीन और परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा।

---

[1] यह दस्तावेज राकेश मालवीय द्वारा विकास संवाद इन्फोपैक के तहत बनाया गया है

मध्यप्रदेश में महिला नेतृत्व

लोकतंत्र की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है पंचायत। यहीं से प्रारम्भ होती है लोकतंत्र की पहली सीढ़ी। वर्ष 1955 में पंचायतों की व्यवस्था की गई थी जो कई कारणों से असफल सिद्ध हुई। इसे पुनः एक बहुत बड़े अंतराल के बाद वर्ष 1993 में 73वें एवं 74वें संशोधन के तहत प्रक्रिया में लाया गया। मध्यप्रदेश में अभी तक हाशिए पर रही ग्रामीण महिलाओं को इसमें 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। इस उल्लेखनीय आरक्षण का परिणाम यह रहा कि देश भर की पंचायतों मे लगभग 1,63,000 महिलाएं विभिन्न पदों पर नियुक्त हुई तथा सरपंच के तौर पर लगभग 10,000 महिलाएं आगे आईं। एक पुरुष प्रधान समाज में इतना बड़ा कदम और फिर अच्छा परिणाम एक बारगी तो खुश होने के लिये पर्याप्त था, लेकिन बदलाव की इस प्रक्रिया में सिक्के का दूसरा पहलू भी विद्यमान रहा और प्रारंभिक दौर में कागजों पर आंकड़े और धरातल का व्यवहारिक सत्य, दोनों में ज़मीन–आसमान का अंतर पाया गया। इसी क्रम में वर्तमान और तीसरी पारी में भी यह धारा सतत चलती रही प्रदेश भर की पंचायतों में पिछले चुनाव में 1,34,368 महिलाएं विभिन्न पदों पर जीतकर पहुंचीं तथा सरपंच के तौर पर लगभग 7707 महिलाएं चुनी गई थीं। एक पुरूष प्रधान समाज में इतना अच्छा कदम और फिर इतने अच्छे परिणाम, समाज के भाल पर उन्नति का टीका लगा चुके हैं। तुलनात्मक रूप से कहा जा सकता है कि पहली पारी के बाद निश्चित रूप से तीसरी पारी में महिलाओं का वर्चस्व कागजों पर भी बढ़ा है और कई उदाहरण हमारे समक्ष हैं। लगातार बारह–तेरह बरस के पंचायती राज ने महिलाओं के मामले में प्रारंभ में लड़खड़ाते हुए अब अपनी धार तेज भी कर ली है। पहले–पहल के पांच वर्षों में जहां कुछेक महिलाएं उभर कर सामने आईं थीं जिन्होंने पुरुष सत्ता को पूर्णतः नकारते हुए दबंगता से अपनी सत्ता संभाली थी और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित भी हुई थी। उन्ही आदर्शों को अपनाते हुए आज की पंचायतों में सैकड़ों महिलाएं सार्थक कार्य ही नहीं कर रही हैं वरन् वे अब विकास को बराबरी से समझ कर आगे बढ़ रही हैं। इस बार के चुनाव में आधी सीटों पर महिलाएं लड़ाई लड़ेंगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के माध्यम से हर साल ग्राम पंचायतों को एक बड़ा फंड मुहैया कराया जा रहा है। ग्राम के विकास में और लोगों को रोजगार देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण मामला है। पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में महिलाओं को रबर स्टॉम्प की तरह इस्तेमाल करने की घातक प्रवृत्तियां भी इसके अंदर छिपी हैं। इसके लिए जरूरी है कि प्रदेश में एक साफ–सुथरे माहौल में चुनाव हो पाएं। महिलाएं निर्भीक रूप से अपनी उम्मीदवारी जता सकें।

महिला नेत्रियों के सामने चुनौतियां

- **स्वतंत्र उम्मीदवारी की चुनौतीः** कई बार महिलाएं चुनाव लड़ना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिए मौका नहीं मिल पाता। बेहतर और बराबरी वाले पंचायती राज व्यवस्था के लिए जरूरी है कि महिलाओं को भी पुरूषों के समान व्यवहारिक माहौल मिले।
- **पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था से लड़ाई की चुनौतीः** आरक्षण प्रक्रिया के चलते कई बार महिलाओं को केवल नाम के लिए उम्मीदवारी दे दी जाती है। जरूरी यह है कि उन्हें निर्णायक भूमिका भी मिले।
- **रबर स्टॉम्प की तरह इस्तेमाल न होने देने की चुनौतीः** सामंती राज व्यवस्था के चलते प्रदेश की कई पंचायतों में गरीब, दलित और आदिवासी महिलाओं को दबंगों द्वारा केवल रबर स्टॉम्प की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी है कि उन्हें वास्तविक अधिकार दिए जाएं।
- **समन्वय की चुनौती** ः महिला नेत्रियों को पंचायत से संबंधित कामों को पूरी कुशलता के साथ करवाने की चुनौती भी है। कई बार प्रशासन द्वारा उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जाता। उन पर घर– परिवार की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। एक तरह से महिलाओं नेत्रियों पर कहीं अधिक जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें दोनों जगह बेहतर तालमेल के साथ खुद को साबित करने की चुनौती है।

आरक्षण प्रक्रिया और मीडिया

जैसा कि आप जानते हैं आरक्षण चुनाव का एक महत्वपूर्ण अंग है। खासकर महिलाओं के संदर्भ में तो और अधिक। इस स्थिति में अपेक्षा है कि आरक्षण प्रक्रिया से संबंधित सही और तथ्यपरक खबरें पाठकों तक पहुंचें। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि मीडिया में कई भ्रामक खबरें आई हैं जहां कि सीटों को पुरूषों के लिए आरक्षित सीट बताया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि कोई सीट पुरूष के लिए आरक्षित हो ऐसा प्रावधान कहीं नहीं है। एक बड़े अखबार में **वार्ड नंबर 56 को पुरूष आरक्षित सीट** लिखा गया। वहीं **पुरूष सामान्य सीट घोषित होने से निराशा** इस तरह के हेडिंग इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि सरकारी वेबसाइट पर आरक्षण प्रक्रिया संबंधी चूक के उदाहरण मौजूद हैं। चूंकि अखबार की खबरों को लोग संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उनकी विश्वसनीयता कहीं अधिक है, इसलिए उनसे अपेक्षा भी अधिक होती भोपाल और अन्य जिला स्तरों से निकलने वाले संस्करणों में भी आरक्षण संबंधी मामलों में भ्रामक समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, जबकि आरक्षण प्रक्रिया का लक्षित समूह तक सही रूप में फायदा पहुंचाने के लिए यह जरूरी है कि हमारे मीडिया के साथी इस बात का खास ख्याल रखें।

राज्य में पिछले चुनाव का लेखा-जोखा

									महिला प्रतिनिधि			
क्र.	पंचायत	पद	कुल सीट	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
1	जिला पंचायत	अध्यक्ष	48	7	12	12	17	16	2	4	4	6
		सदस्य	836	129	210	182	315	288	46	72	61	109
2	जनपद पंचायत	अध्यक्ष	313	39	118	53	103	109	10	38	25	36
		सदस्य	6851	1039	1054	1325	2633	2284	351	630	452	851
3	ग्राम पंचायत	सरपंच	23051	3252	7827	4291	7681	7707	1094	2614	1456	2543
		पंच	365778	56637	102917	66312	139912	123964	19153	34402	23503	46906
	योग -		**396877**	**61103**	**112938**	**72175**	**150661**	**134368**	**20656**	**37760**	**25501**	**50451**

स्रोत : संचालनालय पंचायत विभाग मध्यप्रदेश शासन 21.3.06

राज्य की जिपं में इस बार आरक्षण की स्थिति

कुल जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट- 50

अनुसूचित जाति- 08

अशोकनगर, हरदा, कटनी, छिंदवाड़ा

महिला सीट- मंदसौर, भोपाल, विदिशा, शहडोल

अनुसूचित जनजाति- 13

मंडला, बड़वानी, बुरहानपुर, बालाघाट, राजगढ़, डिंडौरी

महिला- झाबुआ, अलीराजपुर, दमोह, श्योपुर, सिंगरौली, होशंगाबाद, छतरपुर

पिछड़ा वर्ग- 13

इंदौर, नीमच, रायसेन, जबलपुर, सीहोर, दतिया

महिला- ग्वालियर, टीकमगढ़, रीवा, अनूपपुर,पन्ना, देवास, उज्जैन

सामान्य-16

सतना, शिवपुरी, गुना, मुरैना, सागर, सिवनी, धार, खरगोन, खंडवा,

महिला सीट- उमरिया, भिंड, नरसिंहपुर, शाजापुर, सीधी, रतलाम, बैतूल

सफल महिला सरपंचों की कहानियां

चौखट के उस पार

उस गांव में अब सार्वजनिक रूप से शराबबंदी हो चुकी है। उस गांव में अब पलायन भी कम हो गया है। महिलाओं की ग्रामसभा में उपस्थिति बढ़ गई है। अनपढ़ सरपंच शिक्षा के लिये प्रयासरत है। उस गांव में अब घरों में महिलाओं की पिटाई नहीं होती है, लेकिन सरपंच अमासो बाई कहती हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने अपने सरपंच पद के कार्यकाल में क्या किया है, ये तो आप गांव वालों से पूछो ! यदि वो कह दें कि मैंने कुछ काम कराया है तो फिर यह सिद्ध हो जाएगा कि मैंने कुछ किया है। मैं अपने मन से तो कुछ भी कह दूं, लेकिन जिन्होंने मुझे चुना है उनका मत लेना अनिवार्य है। अनपढ़ अमासो बाई, शैक्षिक मापदंडों पर अनपढ़ कही जा सकती हैं, लेकिन राजनीति की परिपक्व समझ उनमें बखूबी है। अमासो बाई छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विकासखंड के तिन्सई पंचायत की सरपंच हैं। वो कहती हैं कि मैंने शायद सबसे बड़ा काम यही किया है कि लोगों की इस सोच को तोड़ा है जिसमें वह कहते हैं कि महिलाएं क्या पंचायत /सत्ता चलायेंगी ? सारा काम तो उनके पति ही करते हैं, जिन्हें एसपी (सरपंच पति) की संज्ञा दी जाती है। मैं मानती हूं कि शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन मां के पेट से कोई नहीं सीख कर आया है, सब करते–करते सीखते है। मैंने भी सीखा ।

दरअसल, अमासो बाई भी यह नहीं जानती हैं कि उन्होंने एक बड़ा काम किया है। वो इसे काम का हिस्सा ही मानती हैं। यह काम है अपने गांव में सार्वजनिक रूप से नशाबंदी। यह काम दो मायनों में महत्वपूर्ण है, एक तो यह नशा माफिया को चुनौती देने वाला मामला है वहीं दूसरी ओर सामाजिक रूप से पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देने का, लेकिन अमासो बाई ने अपने कुशल नेतृत्व व महिला संगठन की मदद से यह कठिन काम भी किया। वह उत्साहपूर्वक बताती हैं कि मैंनें गांववालों के साथ मिलकर शराबबंदी पर रोक लगाने की बात कही। इसका कारण भी वाजिब था, घर खर्च का एक बड़ा हिस्सा इसमें लग जाता था। शराब पीकर लड़ाई–झगड़ा होता था, पुलिस आती थी। औसतन माह में 8–10 हालांकि शुरू में तो बहुत पैसा लगता था। हालांकि शुरू में तो लोगों ने इस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया बल्कि विरोध में भी सामने आए। अमासो बाई कहती हैं कि महिला साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। एक–एक घर गए, बातें कीं। व्यक्तिगत रूप से लोगों को समझाया। अंततः लोगों ने बात मानी। बैठक बुलाई गई और तय किये गये सर्वाजनिक शराबबंदी के नियम–कानून।

संगठन ने तय किया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब नहीं पी जाएगी। यदि किसी को व्यक्ति को अपना शौक पूरा करना हो तो फिर वह अपने घर में बनाए और पिए। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पीता दिख भी गया या पीकर स्थान पर दिखा तो उस व्यक्ति पर 1000 रूपए का अर्थदंड लगाया जाता है, साथ ही जिस व्यक्ति ने सूचना दी है, उसे 500 रूपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। दंड की राशि को ग्रामकोष में जमा कर दिया जाएगा और जिसे विकास कार्यों में उपयोग में लाया जाएगा।

गांव के ही मेहमान शाह निरपाई बताते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक विवाह समारोह में गांव के बाहर के दो व्यक्तियों ने शराब पीकर विवाद खड़ा कर दिया था। इस पर संगठन ने दोनों ही पक्षों पर 2000 रूपए का दंड रखा है। दोनों ही पक्षों में दंड की राशि देना तो कबूल कर लिया है, लेकिन अभी वो

लोग पलायन कर गए हैं और लौट कर अपनी दंड की राशि देंगे। इसे दंड के रूप में देखना एक सतही काम है। जबकि यह अमासो बाई के राजनीति और सामाजिक चिंतन के गठजोड़ को प्रदर्शित करता है।

अमासो बाई द्वारा किया गया यह प्रयास तो उसके सफल नेतृत्व की कहानी कहता है, लेकिन इस मकाम तक पहुंचने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। अमासो बाई कहती हैं कि उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वे एक दिन गांव की प्रथम नागरिक होगी। आरक्षण आया और मुझे मौका मिला। अमासो बाई के सामने सबसे पहले चुनौती यही थी कि वे अंगूठा लगायें या फिर हस्ताक्षर करें। वे बताती हैं कि नामांकन भरने के पहले तीन दिन–तीन रात तक उन्होंने केवल हस्ताक्षर करने का ही अभ्यास किया। वे बताती हैं कि इसके बाद भी डर ये लगा रहता था कि कहीं दस्तख़त गलत न हो जाये। नामांकन रद्द नहीं हुआ और मैंने चुनाव लड़ा। मेरे सामने प्रत्याशी के रूप में थीं पूव सरपंच की धर्मपत्नी। बहुत खींचातान मची, लेकिन हमने हार नहीं मानी। महज 5 वोटों से मैं जीत कर आ ही गईं।

अमासो उनकी अपनी बोली में बताती हैं कि 'पहले तो मैं निकलतई नहीं हती, कभी ग्रामसभा भी ने जात थी, मनू अब तो सब करने परत है ' । उनके लिये पहली बार झंडा फहरा देने का अनुभव भी कम रोमांचक नहीं रहा है। अमासो कहती हैं कि मैंने बचपन से लेकर अभी तक कभी स्कूलों में झंडा फहराते देखा था, लेकिन झंड़ा फहराने को लेकर मैं काफी उत्साहित थी। मैंने 26 जनवरी को झंड़ा फहराया और भाषण भी दिया। अब लगता है कि कठिन नहीं ये करना। हम तो सब यह मान बैठते हैं कि हमसे यह नहीं होगा, लेकिन हम कई बार कोशिश भी नहीं करते हैं। अमासो अपने इस सशक्तिकरण के पीछे एक बड़ा कारक आगाज़ अकादमी को भी मानती हैं। आगाज़ अकादमी ने पंचायती राज में चुने गये महिला प्रतिनिधियों के साथ नेतृत्व कौशल और क्षमता वृद्धि के प्रयास किये । आगाज़ अकादमी से जुड़ी सीमा सादिक बताती हैं कि दरअसल यह पूरा प्रयास ''नहीं कर सकते से कर सकते हैं'' । यह सोच से जुड़ा मामला है। हम यही कोशिश करते हैं कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिले। वे अपने आपको सिद्ध कर पायें। और आप देखिये कि मौके मिलने पर वे अपने आपको सभी जगह सिद्ध कर रही हैं। सवाल केवल एक है कि क्या समाज महिलाओं की सत्ता को आसानी से स्वीकार कर पा रहा है ? नहीं ! और जब तक यह नहीं होगा, तब तक सभी लोग इस प्रक्रिया को स्वीकार नहीं कर पायेंगे।

अमासो कहती हैं कि अब मैं साइकिल चला सकती हूं। दरअसल साइकिल चलाना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन आज से ठीक पांच साल पहले जिसने कभी यह सोचा नहीं हो और आज आश्वस्त होकर कहती हैं कि वह साईकिल चला सकती हैं । वो कहती हैं कि अब जनपद जाना, जिले जाना आम बात हो गई है। सीईओ से मिटिंग (मीटिंग) में डर नहीं लगता है। या ऐसा कहें कि हमें किसी से भी डर नहीं लगता है। हम अभी राष्ट्रपति महोदया से मिल कर आये हैं दिल्ली में। इसके पहले कभी दिल्ली नहीं गईं थीं, इस सवाल पर अमासो शर्माते हुये कहती हैं कि हमने सोचा भी नहीं था, जाने की तो बात ही और है। सूचना क्रांति के इस दौर में जहां मोबाइल फोन सर्वसुलभ हैं, लेकिन फिर भी गांव के स्तर पर महिलाओं का मोबाइल फोन पर बात करना अपने आप में बड़ी बात है। अमासो फोन पर बात करती हैं और तय करती हैं करती हैं पंचायत का काम। अमासो कहती हैं कि मेरे आने से एक चीज तो हुई है कि ग्रामसभा में महिलायें आने लगी हैं। पहले तो मैं स्वयं भी नहीं जाती थी, लेकिन अब ग्रामसभा का महत्व समझ में आने लगा है। मैंने कुछ काम तो कराये हैं। मैंने गरीबी रेखा में वास्तविक हितग्राहियों का नाम जुड़ाया है। मैंने अधिक से अधिक संख्या में रोजगार गारंटी का काम कराया है ताकि मेरे गांव से पलायन न हो। पहले 90 प्रतिशत तक पलायन होता था, घर में बच जाते थे केवल बच्चे और बूढ़े । अब पलायन कम हुआ है, लोगों को काम मिल रहा है । मजदूरी के भुगतान में विलंब हो रहा है, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं फिर भी कोशिश करती हूं कि लोगों की मजूरी न रूके नहीं तो रोजगार गारंटी का सपना तो साकार ही नहीं हो पायेगा। स्वयं अनपढ़ रहने वाली अमासो बाई मानती हैं कि यदि बच्चों को उचित शिक्षा मिले तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो वैसे ही हो जाता है। वो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिये

प्रयासरत हैं। उनका शिक्षा के प्रति रुझान इसी बात से पता चलता है कि उन्होंने स्कूल भवन बनने के लिये सेन्टिग की कमी होने पर गांव के सभी घरों से एक–एक लकड़ी मांगकर पूर्ति की ।

हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर अमासो बाई अभी काम नहीं कर पाई हैं जैसे कि वनाधिकार कानून आने के बाद भी लोगों के दावे व्यवस्थित रूप से नहीं लगे हैं। गांव की वन अधिकार समिति नहीं बनी है, जबकि पुरानी वनसमिति से ही काम चल रहा है। सामुदायिक दावों को लेकर भी कोई पहल नहीं हुई है। गांव में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा दावों का सत्यापन किया जा रहा हे जबकि वन विभाग की इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई दखलंदाजी नही है। लेकिन पंचायत इससे अनभिज्ञ है। 15 परिवार भी साक्ष्यों के अभाव में दावा नहीं कर पाये हैं। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि आदिम जाति कल्याण विभाग ने वन अधिकार मान्यता कानून के व्यापक प्रचार प्रसार में कमी बरती है क्योंकि जमीनी स्तर लोग अभी भी पूरी प्रक्रिया नहीं जान रहे हैं। इसमें अमासो बाई का दोष नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जब तक उन्हें जानकारी ही नहीं दी जायेगी, तब तक वे स्वयं पहल नहीं कर सकती हैं ।

ध्यानवती, बखतिया और मुलिया बाई अमासो बाई की सहेलियां हैं और उन्हें गर्व है कि उनकी साथी सरपंच हैं। वे अमासो बाई को सरपंचन मेड़म कहती हैं। वे कहती हैं कि अमासो के सरपंच बनने पर हमारी ताकत और बढ़ गई है। केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि पंचायत में अब सामाजिक निर्णय भी लिये जाते हैं। सार्वजनिक नशाबंदी उसका एक परिणाम है। महिलायें कहती हैं कि अब घरों में महिलाओं की कुटाई (पिटाई) नहीं होती। और यदि हुई तो फिर पूरा संगठन और सरपंच हमारे साथ खड़ी होगी। अमासो बाई जैसी महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने यह सिद्व कर दिया है कि महिलाओं को यदि अवसर मिलें तो वह यह प्रदर्शित कर सकती हैं कि वह भी किसी से कम नहीं है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में अभी तक 33 प्रतिशत आरक्षण था, अब यह आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। पितृसत्तामक परिवार में जहां महिला पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी को महज़ मजबूरी ही माना जाता रहा है, ऐसे में अमासो बाई जैसी महिलायें आशा की नई किरण दिखा रही हैं और अन्य प्रतिनिधियों के लिये भी मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। वे चुनौतियां स्वीकार भी रही हैं और चुनौतियां दे भी रही हैं। – प्रशान्त दुबे

राजनीति में महिलाओं की सकारात्मक हिस्सेदारी

पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, समर्पण व कार्यकुशलता से सभी को परिचित करा दिया है। विधानसभा और संसद में सीमित साझेदारी के बावजूद उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। महिला आरक्षण को रोकने के लिए शरद यादव जैसे आधुनिक 'सुकरात' जहर तक पीने को तैयार हैं। इस आत्मघाती प्रवृत्ति पर सार्वजनिक बहस की तत्काल आवश्यकता है।

महात्मा गाँधी ने ठीक ही कहा था कि ''महिलाएं पर्यवेक्षण कार्यों एवं अहिंसा के लिये उठाए गए कदमों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होती हैं।'' गांधीजी महिलाओं की सत्ता के पक्षधर भी रहे हैं और उनकी इस सोच को महिलाएं स्थापित भी कर रही हैं। महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर सही मायने में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। घर के कामकाज से बाहर आकर आज महिलाएं सत्ता के मैदान में भी अपना परचम फहरा रही हैं। मध्यप्रदेश में वर्ष 2004 में हुए पंचायत चुनाव में 7,707 महिला सरपंच निर्वाचित हुईं एवं 1,23,964 महिलाएं पंच के पद पर विराजमान हुईं। पितृसत्तामक समाज में पहले तो महिलाओं द्वारा सत्ता चलाना ही अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है और इन परिस्थितियों में मिसाल कायम करना और भी महत्वपूर्ण है। आरक्षण का सकारात्मक मूल्यांकन करना हो तो

छिंदवाडा जिले की तिनसई पंचायत की अमोसा बाई, मनकवाड़ी पंचायत की महावती बाई, भुमका की सहवती और कोठिया की हड़सो बाई को पैमाना बनाया जा सकता है। इस दौरान न केवल उनका स्वयं का सशक्तिकरण तो हुआ ही है बल्कि इन सबने गांव की तस्वीर बदलने की भी पुरजोर कोशिश की है। इन महिलाओं द्वारा शांति, सुशासन के साथ–साथ महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, शराबखोरी इत्यादि अनेक सामाजिक समस्याओं के राजनैतिक हल ढूंढे हैं और सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई है। इनके लिए राजनीति मात्र पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि समाज में गैर बराबरी को खत्म करने एवं न्याय और समता को स्थापित करने का माध्यम है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील की मनकवाड़ी पंचायत की महावती बाई कहती हैं कि पहले तो हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, परन्तु अब हमें खेत भी देखना पड़ता है और पंचायत भी। वे बताती हैं 'गाँव में सरपंच महिला सीट घोषित होने की वजह से ही उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला। सरपंच पद पर जीतने के बाद सबसे पहले गाँव के बुजर्ग व्यक्तियों एवं पेंशन वंचितों को इंदिरा आवास एवं गरीबी रेखा का कार्ड दिलवाने का कार्य किया।' जब महावती बाई से पूछा गया कि उन्होंने सरपंच बनने के बाद सबसे अच्छा कार्य कौन सा किया है तो वे बड़े गर्व से बताती हैं कि अब मेरे गाँव में बच्चे शाला में भूखे नहीं रहते और गाँव में एक प्राथमिक शाला है जिसमें मध्यान्ह भोजन बनाने का कार्य स्वयं सहायता समूह को दिया गया है परन्तु कई बार समूह के पास पैसा नहीं होने की वजह से मध्यान्ह भोजन नहीं बनता था तथा बच्चे भूखे रहते थे। जब मुझे यह बात पता चली तो मैंने तुंरत ग्रामसभा बुलाई और यह तय किया की जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तब पंचायत और समुदाय इसमें सहायता करेगा। सिर्फ यही नहीं बाई के प्रयासों से गाँव में माध्यमिक शाला के निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया है। तिनसई पंचायत की अमासो बाई ने भी गाँव में शराबबंदी करवाकर ऐतिहासिक काम किया है। गाँव के लोग जो कुछ कमा कर लाते थे वह या तो शराब में गंवा देते थे या फिर थाने में खर्च हो जाता था। ऐसे में अमासो बाई ने गाँव में शराबबंदी करने की ठान ली। ग्रामसभा में शराबबंदी के विषय में चर्चा की। गाँव की महिलाओं ने भी उनका समर्थन किया। तत्पश्चात् ग्रामसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि गाँव में जो भी सार्वजनिक रूप से शराब पियेगा, उस पर रु. 2000 का जुर्माना, जो खरीदेगा उस पर रु. 1000 का जुर्माना एवं जो इसकी खबर पंचायत को देगा उसको रु. 500 का इनाम दिया जाएगा। इस वर्ष होली के त्यौहार के समय दो लोगो में शराब पीने के बाद झगड़ा हो गया। झगड़े के अगले ही दिन ग्राम सभा ने दोनों लोगों को रु. 2000 का जुर्माना किया। अब तिनसई में सार्वजनिक रूप से शराब नहीं पी जाती। अमासो बाई बताती हैं कि गाँव में पहले एक शराब की दुकान हुआ करती थी परंतु महिलाओं ने मिलकर उसे भी बंद करवा दी है।

भुमका पंचायत की सहवती बाई ने भी अपनी पंचायत के लिए कई ऐसे काम किये हैं जिसके लिए उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। रोजगार गारंटी के विषय में उनकी सोच तारीफ के काबिल है। उनका सोचना है कि यदि लोगों को गाँव में ही काम मिलेगा तो वो पलायन नहीं करेगें। उनके अनुसार गाँव का पुराना सचिव धन की हेराफेरी करता था। इसलिए शिकायत करके उसे सचिव पद से हटवा दिया। एक महिला सरपंच होने के नाते सहवती बाई ने नरेगा में आ रही प्रशासनिक दिक्कतों को भी बताया कि कैसे उन्हें बार–बार पटवारी से नए काम की फाइल बनवाने के लिए गुजारिश करनी पड़ती है। सहवती बाई कहती हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें अब पहचान का संकट नहीं है। आज अगर गाँव के किसी भी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि गाँव की सरपंच कौन है तो वो सहवती बाई का नाम बता देता है। अब लोग उन्हें उनके पति के नाम से नहीं बल्कि स्वयं उनके नाम से जानते है।

हड़सो बाई ने तो कोठिया पंचायत की सरपंच बनने के तुंरत बाद गाँव के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना शुरु कर दिया था। वे बड़े उत्साह के साथ कहतीं हैं कि सरपंच बनने के बाद मुझे राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिला। वह इस बार भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं भले ही सीट महिला की हो या नहीं।
स्थानीय निकायों में तो महिला पंचायत प्रतिनिधियों को 50 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया लेकिन जहां से नीतियों को निर्धारण होता है, कानून बनते हैं वहां महिलाओं के राजनैतिक आरक्षण का मामला विगत तीन पंचवर्षीय योजना से उलझा पड़ा है। वैसे कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में इसे पारित करने का वादा किया है और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार के 100 दिन के कार्यक्रम में भी इस पर कार्यवाही के संकेत दिए हैं।

महिलाओं ने पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक में राजनैतिक सवालों के बड़े ही अर्थपूर्ण जवाब तैयार किए हैं। उन्होंने केवल उस मान्यता को तोड़ा है जिसमें लोग कहते थे कि महिलाएं सत्ता का संचालन नहीं कर सकती हैं बल्कि उन्होंने इसके बरक्स नए प्रतिमान भी स्थापित किए हैं। लेकिन सवाल यही है कि आरक्षण को लेकर राजनैतिक दलों की अपनी तैयारी कितनी है? पिछले तीन लोकसभा में टल रहे इस विधेयक को कब स्वीकृति मिल पाएगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

– रोली शिवहरे

बुढगौना सरपंच शोभा ने दिखाई नई राह

सीधी जिले के रामपुर नैकिन विकास खण्ड के पश्चिमी छोर पर बुढ़गौना ग्राम पंचायत स्थित है। इस पंचायत की सरपंच एक साधारण सी दिखने वाली महिला शोभा सिंह है। पंचायत की जनसंख्या तकरीबन 1450 हैं। शोभा सिंह एक घरेलू महिला की तरह ही, जीवन यापन कर रही थी, लेकिन गांव वालों ने उनके शालीन व्यवहार को देखते हुये विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत में अपना नेता चुना। सरपंच चुने जाने के बाद, शोभा सिंह ने उन सभी महिलाओं को अपने घर बुलाया जो चुनाव में खडी हुई थी और उन्हें बधाई देकर कहा कि अकेले शोभा सिंह ने चुनाव नहीं जीता है आप सभी बहनों ने चुनाव जीता है। विगत दो वर्षो से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ग्राम पंचायत में विकास की ऐसी मिसाल पेश की, सब लोग देखकर अपने महिला नेत्री पर नाज कर रहे हैं।

बतौर सरपंच किए गए कार्य–

- **रोजगार गारंटी योजनाः** कूप निर्माण, तालाब गहरीकरण, वृक्षारोपण, हैण्डपंप, सीसी रोड।
- महिलाओं को बच्चों को नियमित आंगनबाडी केन्द्र भेजने के लिए प्रेरित किया। आंगनबाड़ी केन्द्र के समुचित विकास एवं संचालन के लिये भागीदारी समिति का गठन किया।
- **सेवा सहकारी समिति की तालाबंदीः** समिति द्वारा गरीब मजदूरों, बीपीएल के लोगों के लिये जो राशन और मिट्टी का तेल आता है नियमित वितरण पर, शोभा सिंह ने समिति प्रबंधक और सेल्समैन को कई बार समझाने का प्रयास किया, अंततोगत्वा जब समझाने का प्रभाव उन लोगों पर नहीं हुआ तो अपने पंचों को साथ में लेकर सरपंच ने समिति में तालाबंदी करवा दी तथा ग्राम सभा के समक्ष उनको उपस्थित होने का नोटिस दिया। ग्राम सभा की बैठक में इस मुद्दे पर व्यापक बहस हुई और अंततः सेवा

समिति के प्रबंधक ने अपनी त्रुटि स्वीकार करते हुये सभी को नियमित राशन वितरित कराने का आश्वासन दिया।

- **अवयस्क किशोरी की शादी रूकवाई :** जायसवाल परिवार अपनी 15 वर्षीय पुत्री का विवाह एक 40 वर्षीय पुरुष के साथ पक्का कर, रस्मों की तैयारी पूरी करने में लगा था। यह जानकारी जब सरपंच को मिली तो उन्होंने राज्य स्तरीय महिला जनप्रतिनिधियों के फेडेरेशन के साथ मिलकर मानव अधिकार आयोग में अपनी आवाज को बुलंद किया। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने तुरंत जिला प्रशासन सीधी को कार्यवाही करने के आदेश दिए और अंततः शादी रोक दी गई।
- **स्कूल चलो अभियानः** ग्राम पंचायत के कोई भी बालक/बालिका स्कूल जाने से वंचित न हो, इसके लिये सरपंच द्वारा महिला समूहों और पंचों को साथ लेकर पूरे ग्राम पंचायत में भ्रमण किया और हर घर से स्कूल न जाने वाले बच्चों का ब्यौरा एकत्रित कर विद्यालयों में उनके नाम लिखवाने हेतु प्रेरित किया। परिणाम यह निकला कि ग्राम पंचायत के शत-प्रतिशत अप्रवेशी बालक/बालिकाओं का दाखिला किया गया।
- **जननी सुरक्षा योजनाः** किसी भी गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचवाने में हर संभव सहयोग दिया।